TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर कैंप उज्जैन

नवीन प्रकरण - 3301/2016
नि॰ - 3301-PBR16

64

प्रकरण क्र0 /2015 अपील

(1) नरेन्द्रसिंह पिता सौदानसिंह जाति राजपूत
उम्र 28 वर्ष धंधा कृषि निवासी हेड़ा पचौला
तहसील तराना जिला उज्जैन
(2) ईश्वरसिंह पिता सौदानसिंह जाति राजपूत
उम्र 25 वर्ष धंधा कृषि निवासी हेड़ा पचौला
तहसील तराना जिला उज्जैन

..................आवेदकगण

विरूद्ध

(1) मांगूबाई पति स्वं. मांगुसिंह जाति राजपूत
उम्र 60 वर्ष धंधा कृषि निवासी हेड़ा पचौला
तहसील तराना जिला उज्जैन
(2) जोरावरसिंह पिता इंदरसिंह जाति राजपूत
उम्र 50 वर्ष धंधा कृषि निवासी हेड़ा पचौला
तहसील तराना जिला उज्जैन
(3) गोरधनसिंह पिता इंदरसिंह जाति राजपूत
उम्र 45 वर्ष धंधा कृषि निवासी हेड़ा पचौला
तहसील तराना जिला उज्जैन
(4) भगवानसिंह पिता इंदरसिंह जाति राजपूत
उम्र 42 वर्ष धंधा कृषि निवासी हेड़ा पचौला
तहसील तराना जिला उज्जैन
(5) मोहनसिंह पिता नागूसिंह जाति राजपूत
उम्र 28 वर्ष धंधा कृषि निवासी हेड़ा पचौला
तहसील तराना जिला उज्जैन

..........अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं

न्यायालय नायब तहसीलदार तराना जिला उज्जैन द्वारा **प्रकरण** कमांक 2/अ-13/2015-06 में दिनांक 31/12/2015 कों जो आदेश पारित किया हैं, उससे असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत हैं :-

निरंतर...2.

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3301-पीबीआर/16 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	